

---

**‘भाषा और शब्द’**

---

डॉ. शिवम् चतुर्वेदी  
प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष  
हिन्दी व पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग  
अरुणाचल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज  
नाम्साई, अरुणाचल प्रदेश

---

भाषा वह माध्यम है जिससे मनुष्य अपने भावों का आदान-प्रदान करता है। मनुष्य के द्वारा जो सार्थक ध्वनि समूह का प्रयोग किया जाता है उसे भाषा कहा जाता है। भाषा वैज्ञानिक निरर्थक ध्वनि समूह को भाषा नहीं मानते। भाषा एक स्वतन्त्र ध्वनि समूह की व्यवस्था है, जिसे मनुष्य अपनी सुविधा अनुसार विचारों के आदान-प्रदान में प्रयोग में लाता है। सामान्य रूप से जिस किसी माध्यम से मनुष्य अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है वह भाषा है। मानव सभ्यता के विकास के साथ-साथ सांकेतिक और मौखिक भाषा का प्रयोग किया गया, जो प्रारम्भ में बोली के रूप में विकसित हुआ होगा परन्तु जब उसमें लिपि का विकास हुआ तथा व्यापक रूप में प्रयोग में लाये जाने लगा, तो उसे भाषा कहा गया। भाषा शब्द भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना या कहना। बोलते तो सभी हैं, परन्तु सभी को बोलने को भाषा नहीं माना गया वरन् मनुष्य के जो सार्थक ध्वनि का प्रयोग किया जाता है, उसे ही भाषा कहा जाता है। निरर्थक ध्वनि समूहों को भाषा नहीं माना जाता। पशु-पक्षियों एवं अन्य जीवों की बोली को भाषा वैज्ञानिक भाषा नहीं मानते। विश्व में किसी भी भाषा का विकास किस प्रकार से हुआ, इसे कोई भी भाषा वैज्ञानिक सिद्ध नहीं कर पाये हैं। अनेक विद्वानों के द्वारा तर्क तो दिया गया है, परन्तु प्रमाणिक रूप से भाषा का उद्भव का निश्चित प्रमाण नहीं मिलता।

शब्द की व्युत्पत्ति ‘शप’ या शब्द धातु से मानी जाती है। शब्द में ‘घअ’ प्रत्यय जोड़ने से शब्द की रचना होती है। जिसका अर्थ है शब्द करना, ध्वनि करना या बोलना। कुछ लोग शब्द को नाम धातु भी मानते हैं। अंग्रेजी में शब्द को वूतक कहते हैं, डच भाषा का वूतक, जर्मन का वूतज, लैटिन का अमतइनउ और ग्रीक का सपतव भी ध्वनि करना या बोलना के अर्थ में प्रयोग में आते हैं।

पतंजलि ने अपने महाभाष्य में लिखा है कि—

श्रोत्रोप्लब्धिबुद्धि निग्राह्या प्रयोगेण—भिज्वलितः आकाशदेशः शब्दाः।

अर्थात् शब्द, कान से प्राप्य, बुद्धि से ग्राह्य, प्रयोग से प्रस्फुटित होने वाली आकाशव्यापी ध्वनि है। प्रतीत पदार्थ को लोके ध्वनि शब्दः। अर्थात् वह ध्वनि जिससे व्यवहार या लोक में पद के अर्थ की प्रतीति हो, शब्द है। जिसके उच्चारण करने से अर्थ की प्रतीति हो वह ध्वनि शब्द है। शब्द के द्वारा वस्तु, व्यक्ति, क्रिया आदि का बोध होता है।

**भोलानाथ तिवारी के अनुसार—**“अर्थ के स्तर पर भाषा की लघुतम स्वतन्त्र ईकाई शब्द है।”

**रामचन्द्र वर्मा के अनुसार—**“वह जो कुछ हमें सुनाई दे, को शब्द कहते हैं।”

शब्द निरपेक्ष होते हैं शब्द शुद्ध अर्थ तत्व है। शब्द का अर्थ तभी स्पष्ट होता है, जब हम उसके रूप में परिवर्तन करते हैं। डॉ. भोलानाथ तिवारी के अनुसार शब्द पर ही पद आधारित होते हैं संस्कृत में शब्द के मूल रूप को प्रकृति या प्रातिपदिक कहा जाता है। सम्बन्ध तत्व के लिए जोड़े गये तत्व को प्रत्यय कहते हैं। प्रकृति और प्रत्यय युक्त शब्द ही ‘पद’ कहलाता है। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। शब्द स्वतन्त्र रूप से और कभी अन्य शब्दों के साथ मिलकर अपना अर्थ प्रकट करते हैं। शब्दों की रचना ध्वनि और अर्थ के मेल से होती है। एक या अधिक वर्णों से बनी स्वतन्त्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। जैसे—मानव, जा, आ, गा, धीरे,

किन्तु, परन्तु इत्यादि। अतः शब्द मूलतः ध्वन्यात्मक होंगे या वर्णात्मक। व्याकरण में ध्वन्यात्मक शब्दों की अपेक्षा वर्णात्मक शब्दों का अधिक महत्व है। वर्णात्मक शब्दों में भी उन्हीं शब्दों का महत्व है, जो सार्थक है। जिसका अर्थ स्पष्ट और सुनिश्चित है। व्याकरण में निरर्थक शब्दों पर विचार नहीं होता।

भाषा विकास कोश में डॉ. भोलानाथ तिवारी ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा है कि—“शब्द का सम्बन्ध शब्द धातु से है, जिसका अर्थ है—शब्द करना।”

कुछ भाषा वैज्ञानिकों ने ‘शप’ धातु से सम्बन्ध जोड़ते हुए शब्द की व्युत्पत्ति की है— शपदन = शब्द।

भाषा वैज्ञानिकों का दूसरा वर्ग संस्कृत के शब्द धातु से शब्द का सम्बन्ध जोड़ता है। शब्द, घय = शब्द।

“भाषा की सार्थक लघुतम और स्वतंत्र ईकाई को शब्द कहते हैं।”—भोलानाथ तिवारी

‘शब्द कल्पद्रुम’ में शब्द की परिभाषा में बताया है कि “श्रोत्रग्राह्य गुण पदार्थ विशेष।”

कामता प्रसाद गुरु के अनुसार—एक या अधिक अक्षरों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं।”

डॉ. रामचन्द्र वर्मा के अनुसार—“अक्षरों, वर्णों आदि से बना और मुँह से उच्चरित या लिखा जाने वाले वह संकेत जो किसी कार्य या भाव बोधक हो।”

आचार्य श्यामसुन्दर दास के अनुसार— “वह स्वतन्त्र, व्यक्त और सार्थक ध्वनि जो एक या अधिक वर्णों के संयोग से कंठ और तालु आदि के द्वारा उत्पन्न हो और जिससे सुनने वाले को किसी पदार्थ, कार्य, या भाव आदि का बोध हो, उसे शब्द कहते हैं।

आचार्य देवेन्द्रनाथ शर्मा के अनुसार—उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुतम ईकाई ध्वनि है और सार्थक की दृष्टि से शब्द है।”

"The smallest speech unit capable of functioning as a complete utterance" अर्थात् भाषा की ऐसी लघुतम ईकाई जो एक महत्वपूर्ण उच्चारण के रूप में काम कर सके, उसे शब्द कहते हैं।

"The smallest significant unit of language" अर्थात् शब्द को भाषा की लघुतम महत्वपूर्ण ईकाई कहते हैं। —उल्मैन

"Word is the result of the association of a given meaning with a given combination of sound capable of given grammatical use." अर्थात् शब्द अर्थ और ध्वनि का वह योग है, जिसका व्याकरणिक प्रयोग किया जाता है। —मैलेट

"The smallest independent unit within the sentence." अर्थात् शब्द वाक्य में लघुतम स्वतंत्र ईकाई है। — राबर्टसन तथा कैसिडी

"An ultimate sense unit" अर्थात् लघुतम अर्थपूर्ण ईकाई को शब्द कहते हैं। —स्वीट

अर्थात् यह कहा जा सकता है कि “भाषा की स्फोट-ध्वनि गुणयुक्त लघुतम स्वतंत्र महत्वपूर्ण ईकाई शब्द है।”

शब्द के भेद — सामान्य रूप से शब्द को दो भागों में विभाजित किया गया है—सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्दों के अर्थ होते हैं, और निरर्थक शब्द के अर्थ नहीं होते। जैसे— बोलचाल में ‘पानी-वानी’ शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसमें पानी सार्थक शब्द है तथा वानी निरर्थक शब्द है। क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है।

व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के भेद—उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के चार भेद हैं—

1. तत्सम 2. तद्भव 3. देशज 4. विदेशी शब्द।

तत्सम् — किसी भाषा के मूल शब्द को तत्सम् कहते हैं। हिन्दी में संस्कृतनिष्ठ शब्दावली को तत्सम् कहा जाता है। तत्सम् का अर्थ होता है—‘उसके समान’ या ‘ज्यों—का दृष्टियों’ (तत् तस्य = उसके अर्थात् संस्कृत के समान = समान) सामान्य जनता संस्कृतनिष्ठ शब्दावली का प्रयोग नहीं कर पाती है, ये शब्द उच्चारण में क्लिष्ट होते हैं इसीलिए बोलचाल में लोग शब्दों का अपने अनुसार तोड़-मरोड़कर प्रयोग में लाते हैं। जैसे—आम्र—आम, उष्ट्र—ऊँट, चंचु—चोच, त्वरित—तुरन्त, तिक्त—तीता, घोटक—घोड़ा, शत—सौ, सूचि—सुई, क्षीर—खीर, पर्यक—पलंग।

**तद्भव**—ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिन्दी में आये हैं। उसे तद्भव कहा जाता है। अर्थात् संस्कृत और प्राकृत का अपभ्रंश हिन्दी के रूप में विकसित हुआ। तद्भव का अर्थ है—उससे (संस्कृत से)। ये शब्द संस्कृत से सीधे न आकर पालि, प्राकृत और अपभ्रंश हिन्दी के रूप में विकसित हुआ। सामान्यतः सभी तद्भव शब्द संस्कृत से आये हैं परन्तु कुछ शब्द देश—काल के प्रभाव से ऐसे विकृत हो गये हैं कि उनके मूल रूप का पता नहीं चलता। तद्भव शब्द दो प्रकार के माने जाते हैं। संस्कृत से आने वाले और प्राकृत से आने वाले। हिन्दी भाषा में प्रयुक्त होने वाले। हिन्दी भाषा में प्रयुक्त होने वाले बहुसंख्यक शब्द ऐसे तद्भव हैं, जो संस्कृत प्राकृत से होते हुये हिन्दी में आये हैं। जैसे— अग्नि—आग्नि—आग, माया—मई—मैं, वत्स—वच्छ—बच्चा, पुष्प—पुष्प—फूल, चतुर्थ—चउठठ—चौथा, प्रिय—प्रिय—पिय—प्रिया, मयूर—मऊर—मोर।

**देशज**—देशज शब्द से तात्पर्य है कि जो भाषा या बोली की शब्दावली पारम्परिक रूप में प्रयोग की जाती है। वह बोलचाल की शब्दावली होती है। ये किसी भी मूल भाषा के व्याकरण से नहीं बंधे हैं तथा स्वतंत्र रूप से प्रयोग में लायी जाती है, जैसे—चिड़ियाँ, कटोरा, खिड़की, तुमरी, जूता, खिचड़ी, पगड़ी, लोटा इत्यादि। देशज शब्दों की व्युत्पत्ति का आधार अज्ञात होता है।

**विदेशी शब्द**—विदेशी भाषा के आये शब्दों को विदेशी शब्द कहा जाता है। जैसे—हिन्दी भाषा में अंग्रेजी, फारसी, तुर्की, अरबी, फ्रेंच, आदि भाषाओं के शब्द प्रचलित हैं। जैसे—स्कूल, कालेज, कीमत, फैसला आदि।

**विदेशी शब्द**—विदेशी भाषा के आये शब्दों को विदेशी शब्द कहा जाता है। जैसे हिन्दी भाषा में अंग्रेजी, फारसी, तुर्की, अरबी, फ्रेंच आदि भाषाओं के शब्द प्रचलीत हैं, जैसे— स्कूल, कालेज, कीमत, फैसला आदि। अरबी—फारसी के नुक्तेदार शब्दों को तो लिया गया है, पर हिन्दी में नुक्तों का प्रयोग नहीं किया जाता है।

रचना अथवा बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण—व्यक्ति एवं समाज के द्वारा अपने भावों की अभिव्यक्ति के शब्द का निर्माण किया जाता रहा है। विषय की सटीक अभिव्यक्ति के लिए शब्द रचे जाते हैं अर्थात् विषय वस्तु के सम्प्रेषण के लिए शब्द गढ़े जाते हैं। इस प्रकार शब्दों अथवा वर्णों के मेल से नये शब्द बनाये जाते हैं। कई वर्णों के मिलाने से शब्द बनता है और शब्द के खण्ड शब्दांश कहते हैं। जैसे—राम शब्द के दो खंड हैं—‘रा’ और ‘म’। इन अलग शब्दांशों का कोई अर्थ नहीं है। कुछ शब्दों के दोनों खंड सार्थक होते हैं, जैसे—विद्यालय। इसमें दो अंश हैं—विद्या और आलय। दोनों के अलग—अलग अर्थ हैं। इस प्रकार रचना के आधार पर शब्द के तीन प्रकार हैं—1. रूढ़ 2. यौगिक 3. योगरूढ़।

**रूढ़ शब्द**—जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो, उन्हें रूढ़ कहते हैं, जैसे नाक, कान, पीला, झट, पर। यहाँ पर प्रत्येक शब्द के खंड है, जैसे ‘ना’ और ‘क’, ‘का’ और ‘न’—अर्थहीन है।

**यौगिक शब्द**—यौगिक शब्द ऐसे शब्द है जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं, यौगिक कहलाते हैं। दो या दो से अधिक रूढ़ शब्दों के योग से मैखिक शब्द बनते हैं। जैसे आग बबूला, पिला—पन, दुध—वाला, छल—छनद, घुड़सवार इत्यादि। यहाँ प्रत्येक शब्द के दो खंड है और दोनों खंड सार्थक है।

**योगरूढ़ शब्द**—ऐसे शब्द, जो यौगिक होते हैं, पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़ किसी परम्परा से विशेष अर्थ के परिचायक हैं, योगरूढ़ कहलाते हैं। अर्थात् यौगिक शब्द जब अपने सामान्य अर्थ को छोड़ किसी परम्परा से विशेष अर्थ के परिचायक है, योगरूढ़ कहलाते हैं। जैसे लम्बोदर, पंकज, चक्रपाणी, जलज इत्यादि। पंकज का अर्थ है कीचड़ से उत्पन्न, पर इससे केवल ‘कमल’ का अर्थ लिया जायेगा। इस प्रकार ‘पंकज’ योगरूढ़ है।

शब्द ही ब्रह्म है अर्थात् प्रत्येक शब्द का अपना प्रभाव होता है। जब व्यक्ति के द्वारा शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो उसका एक निश्चित अर्थ होता है। अर्थ का प्रभाव व्यक्ति के मन—मस्तिस्क पर पड़ता है। व्यक्ति प्रोत्साहित या

हतोत्साहित होता है। शब्द कार्य को प्रेरित करते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहते हुये, वह शब्दों के माध्यम से विचारों का आदान-प्रदान करता है। क्योंकि शब्द ही विचार के विधायक हैं। शब्द के माध्यम से ही मनुष्य विचारों को मूर्त रूप देता है। शब्दों का ही मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है। विषय एवं वस्तु के आधार पर शब्द का निर्माण किया जाता है। प्रयोग के आधार पर भी शब्दों का विभिन्न रूप में निर्माण किया जाता है। जिसमें पारिभाषिक शब्द, अर्द्धपारिभाषिक शब्द, सामान्य शब्द, आधारभूत, माध्यमिक, उच्च, सक्रीय एवं निष्क्रिय आदि शब्द के रूप देखे जा सकते हैं।

**पारिभाषिक शब्द**—जिस शब्द को एक निश्चित सीमा में बांध दिया जाता है उसे पारिभाषिक शब्द कहते हैं। पारिभाषिक शब्द का एक निश्चित अर्थ निर्धारित कर दिया जाता है। ये तकनीकी शब्दावली के रूप में भी जाने जाते हैं। विज्ञान, शास्त्र एवं तकनीकी के क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के शब्दावली का निर्माण किया जाता है। इनका विषय क्षेत्र निर्धारित होता है। जैसे-जैसे सभ्यता एवं तकनीकी का विकास होता गया, वैसे-वैसे पारिभाषिक शब्दों का निर्माण होता गया। तकनीकी विकास के कारण नये-नये शब्द बनाये गये, इसलिए इसे तकनीकी शब्दावली भी कहा गया।

**आधारभूत शब्दावली**—आधारभूत शब्दावली किसी भाषा में प्रयोग में लायी जाने वाले उन शब्द समूहों को कहते हैं, जो किसी भाषा के आधार होते हैं किसी भाषा के दैनिक प्रयोग की अभिव्यक्ति इन्हीं के माध्यम से होती है। कोई व्यक्ति जब किसी भाषा को सीखता है तो प्रारम्भ में उसे आधारभूत शब्दावली का ही ज्ञान कराया जाता है। आधारभूत शब्दावली में सौ तक की संख्याएं, नाम, सर्वनाम, उनके गुणबोधक (जैसे- अच्छा, बुरा) वर्णबोधक (जैसे-काला, पीला आदि ) कालबोधक (नया, पुराना) तथा आकारबोधक (बड़ा, छोटा) आदि विशेषण सामान्यतः प्रयुक्त धातु तथा क्रिया विशेषण आदि शब्द होते हैं आधारभूत शब्दों का चयन प्रयोवृत्ति के आधार पर होता है। ये भाषा के सक्रीय शब्द होते हैं जिनका प्रयोग लोग वास्तविक आधार पर करते हैं। भाषा में ज्यादा से ज्यादा आधार शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। ये किसी भाषा के सक्रीय शब्द होते हैं

**शब्द**—समूह भाषा में प्रयोग में लायी जाने वाली शब्दों के समूह को भाषा शब्द समूह कहा जाता है। प्रत्येक भाषा के अपने-अपने शब्द कोश होते हैं, परन्तु सम्पूर्ण शब्दों का पता लगाना संभव नहीं हो पाता। प्रत्येक भाषा के शब्द कोशों में शब्द जुड़ते जाते हैं। इसलिए भाषा में शब्दों के स्तर पर हमेशा परिवर्तन होता रहता है। प्रत्येक ग्रंथों की भी शब्द समूह होते हैं प्रत्येक विषयवस्तु की अपनी-अपनी शब्दावली होती है, तथा उनके निर्धारित अर्थ सुनिश्चित कर दिए जाते हैं। एक ही शब्द के विषय एवं प्रसंग के अनुसार अर्थ ग्रहण किये जाते हैं। व्यक्ति जीवन के प्रारम्भ में सीमित शब्दों का प्रयोग करता है परन्तु जैसे-जैसे उसके जीवन का दायरा बढ़ता जाता है उसके शब्द समूह में परिवर्तन हो जाता है। उसी प्रकार भाषा के विकास के साथ-साथ शब्द समूहों का भी विकास होता जाता है। भूमंडलीकरण के प्रभाव से सांस्कृतिक एवं सामाजिक आदान-प्रदान के कारण भाषा में भी परिवर्तन दिखाई पड़ता है। जिसके कारण विदेशी भाषा के शब्दावली को लोग ग्रहण कर लेते हैं। प्रयोग के आधार पर ये शब्दावली सरलतापूर्वक स्वीकार कर लिए जाते हैं।

कुछ शब्दों का प्रायः प्रयोग में न होने अर्थात् अप्रचलित होने के कारण लोप हो जाता है। कुछ प्राचीन शब्द बहुत ज्यादा घिस जाने के कारण अपनी पहचान खो बैठते हैं। ऐसे शब्द व्यवहार में नहीं रह पाते। समाज में बहुत से रीति-रिवाज आधुनिकता के कारण परिवर्तन होता है, जिसका प्रभाव भाषा के शब्दों पर भी पड़ता है। नये-नये शब्दों का निर्माण किया जाता है। जिसके कारण शब्द भंडार में वृद्धि होती है।

शब्द से अर्थ का ज्ञान होता है इसलिए शब्द बोधक है और अर्थ बोध्य। शब्द और अर्थ में बोध्य-बोधक भाव सम्बन्ध होता है। शब्द की प्रासंगिकता अर्थ में ही निहित होता है। उपयोगिता अर्थ की ही होती है। जैसे हम रोटी (वस्तु) खाते हैं, न की रोटी शब्द। दूध पीते हैं, न की दूध शब्द। परन्तु रोटी और दूध ही खाने की वस्तुएं नहीं हैं।

उसी प्रकार अन्य वस्तुएं हैं। उनमें से रोटी और दूध का अर्थ बोध कराने के लिए कोई शब्द या संकेत अपेक्षित है। भाषा संकेत यादृच्छिक होते हैं किसी वस्तु का नाम क्यों पड़ गया यह बताना संभव नहीं है, क्योंकि दूसरे भाषा में उसे अन्य नाम से जाना जाता है। हिन्दी में जिसे रोटी या दूध कहते हैं, उसे अंग्रेजी में 'ब्रेड' या 'मिल्क' कहते हैं। शब्द प्रायः दो प्रकार के होते हैं—एकार्थक और अनेकार्थक। कुछ शब्दों का एक ही अर्थ होता है, जैसे— पेड़, नदी आदि। परन्तु कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं, जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं जैसे सूर, का अर्थ सूर्य और अन्धा, घनश्याम का एक अर्थ है में। दूसरा कृष्ण—'कर' शब्द के अनेक अर्थ हैं—किरण, हाँथ, मालगुजारी आदि। उसी प्रकार 'हरि' शब्द के अनेक अर्थ हैं। सामान्यतः अर्थ निर्णय का आधार विषय और प्रसंग होता है। भर्तृहरि ने अर्थ निर्धारण में अनेक साधनों को आधार बनाया है, जिसमें संयोग, वियोग, साहचर्य, विरोध, अर्थ, प्रकरण, लिंग, अन्य शब्द का सान्निध्य, सामर्थ्य, औचित्य, देश, काल, व्यक्ति, स्वर आदि के आधार पर अर्थ निर्धारण किया जाता है। जिस तरह अनेकार्थ शब्दों के अर्थ निर्णय के अनेक साधन हैं, उसी प्रकार एकार्थ शब्दों के अर्थ निर्णय के भी हैं। साहित्य दर्पण में दश ऐसे साधन बताये गये हैं जो एकार्थ शब्दों के अर्थ निर्धारण में सहायक होते हैं वक्ता, श्रोता, वाक्य, वाच्य, अन्य सन्निधि, प्रकरण, देश और काल, ध्वनि विकार, चेष्टा आदि साधन महत्वपूर्ण होते हैं

इस प्रकार शब्द का अर्थ निर्धारण सामाजिक स्वीकृति के आधार पर होता है। शब्द का निर्माण मनुष्य अपनी आवश्यकता के अनुसार गढ़ देता है। प्रत्येक भाषा व्याकरण को ध्यान में रखकर शब्द निर्माण किया जाता है। जिस भाषा में जीतना ज्यादा शब्द भंडार होंगे वह भाषा उतनी ही सम्पन्न मानी जाती है। शब्द के बिना भाषा की परिकल्पना ही नहीं की जा सकती। भाषा में शब्द का ही प्रभाव पड़ता है। शब्द ही विषय या तथ्यों के सम्प्रेषण में सहायक होता है। हर देश व समाज की अपनी भाषा व शब्दावली है, जिसके माध्यम से लोग भावों की अभिव्यक्ति करते हैं।

### सन्दर्भ ग्रन्थ—सूची

- |  |   |
|--|---|
| 1. भाषा विज्ञान                        | : डॉ. भोलानाथ तिवारी, किताब महल, इलाहाबाद                         |
| 2. भाषा विज्ञान की भूमिका              | : आचार्य देवेन्द्रनाथ शर्मा व दीप्ती शर्मा                        |
| 3. भाषा साहित्य और संस्कृति            | : डॉ. मुकेश अग्रवाल   |
| 4. हिन्दी व्याकरण                      | : कामता प्रसाद गुरु, नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी                 |
| 5. भाषा प्रौद्योगिक एवं भाषा प्रबंधन   | : डॉ. सूर्य प्रसाद दीक्षित, किताबघर, दिल्ली                       |
| 6. अर्थविज्ञान और व्याकरण दर्शन        | : कपिलदेव द्विवेदी, हिन्दुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद                 |
| 7. पाली, प्राकृत—अपभ्रंस संग्रह        | : राम अवध पाण्डेय, रविनाथ मिश्र, विश्व प्रकाशन वाराणसी            |
| 8. हिन्दी भाषा: विकास और स्वरूप दिल्ली | : कैलाशचन्द्र भाटिया एवं मोतीलाल चतुर्वेदी, ग्रन्थ अकादमी, दिल्ली |
| 9. भाषाविज्ञान: सैद्धांतिक चिंतन       | : रवीन्द्रनाथ श्रीवास्तव, राधाकृष्ण, दिल्ली                       |
| 10. हिन्दी भाषा: संदर्भ और संरचना      | : सूरजभान सिंह, साहित्य सहकार, दिल्ली                             |